



**वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर द्वारा राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ वनमण्डल अंतर्गत 4.681 हे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त के अभिमत से सहमत होते हुए आष्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु 4.681 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 04/09/2020

स्थान: अरण्य भवन, नवा रायपुर

(राकेश प्रतुर्वेदी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार

छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-836/1649

नया रायपुर, दिनांक 07/09/2020

प्रति,

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन

नवा रायपुर, अटल नगर

विषय :-

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Khairagarh Division" Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 4.681ha. regarding

संदर्भ:-

मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वृत्त दुर्ग का पत्र क्रमांक/तक.अधि/1568 दिनांक 22.07.2020

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोडल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्र
1.	आवेदक विभाग का मांग पत्र- आवेदनकर्ता, प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड वास्ते अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ इनफोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स द्वारा राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ वनमंडल अंतर्गत 4.403 हे. वनभूमि एवं 0.278 हे. राजस्व वन भूमि कुल 4.681 हे. भूमि पर ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के गैर वानिकी कार्य के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है।	1
2.	रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रति:- प्रस्ताव का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/ CG/ OFC/43123/2019 आबंटित किया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि जमा कराई गई जिसे चालान के माध्यम से वनमंडल अधिकारी के पी.डी.खाते में जमा कराया गया है।	2
3.	वन क्षेत्र विवरण:- आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, वास्ते अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ इनफोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स द्वारा राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ वनमंडल अंतर्गत विभिन्न परिक्षेत्रों के 1.084 हे. आरक्षित वनभूमि एवं 3.319 हे. संरक्षित वनभूमि कुल 4.403 हे. वनभूमि एवं 0.278 हे. राजस्व वन भूमि कुल 4.681 हे. भूमि पर ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है।	3-13
4.	गैर वन क्षेत्र विवरण:- खैरागढ़ वनमंडल के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के कार्य हेतु प्रभावित वनक्षेत्र का कुल रकबा 35.209 हे. है।	14

etc
a/f

5.	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर:- प्रस्तावित वनक्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।	15-18
6.	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप:- वनक्षेत्र का इन्डेक्स मैप संलग्न किया गया है।	19
7.	प्रपत्र-4 में प्रस्ताव:- भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना भारतनेट के अंतर्गत संस्थान छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ वनमण्डल क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राइट-ऑफ-वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 4.419 हे. वनभूमि एवं 0.278 हे. राजस्व वनभूमि कुल 4.681 हे. भूमि का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावित भूमि में किसी भी प्रकार से वृक्षों का विदोहन नहीं होना है।	20-27
8.	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप:- प्रस्ताव में प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप संलग्न है।	28-33
9.	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र:- प्रस्ताव में न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।	31
10.	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो/जिम्मेदारों अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही:- इस परियोजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।	32
11.	वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम, पद नाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा:- भाग-1 भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना भारतनेट के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु 4.419 हे. वनभूमि एवं 0.278 हे. राजस्व वनभूमि कुल 4.681 हे. भूमि की आवश्यकता है। उपरोक्त केबल रूट की चौड़ाई 0.50 मीटर एवं गहराई 1.65 मीटर पर भूमिगत केबल बिछाने का कार्य किया जाना है। भाग-2 खैरागढ़ वनमंडल के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनभूमि निम्नानुसार है:- आरक्षित वन 1.084 हे. संरक्षित वन 3.319 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.278 हे. कुल 4.681 हे. भूमि है। वनभूमि का घनत्व 0.4 है तथा परियोजना की कुल लागत 73 करोड़ 88 लाख रुपये है। शासन के निर्देशानुसार वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग (ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु) अनुमति प्रदान की जा सकती है।	33-58
12.	ऐतिहासिक प्रमाण पत्र:- प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व स्थल एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहा है।	59
13.	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/ एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12/01/2010):- संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है।	60-68
14.	जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में:- खैरागढ़ वनमंडल का कुल वन भूमि (रकबा हे. में) रकबा 131369.92 हे. है।	69
15.	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में:- खैरागढ़ वनमंडल के अंतर्गत कुल 13 प्रकरणों में 160.928 हे. वनभूमि का व्यपवर्तन वन संरक्षण, अधिनियम 1980 के अंतर्गत किया गया है।	70
16.	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी Catagory की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में:- व.स.अ.-1980 तहत खैरागढ़ वनमंडल के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि का रकबा 1.373 हे. है।	71
17.	प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/ एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12/01/2010):- प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है और ना	72

	ही प्रस्तावित है तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/ मूर्ति स्थापित नहीं है।	
18.	वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा)। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No. 11-9/1998 दिनांक 03/08/2009):- आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र क्रमांक 190 दिनांक 07.01.2020 को जारी किया गया है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।	73-74
19.	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र क्रमांक भू-प्र/1317 दिनांक 25/05/2007):- प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि सम्मिलित है। राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर राजनांदगांव के पत्र क्रमांक 102 दिनांक 07.01.2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गई है। जो प्रस्ताव के संलग्न है।	75-80
20.	पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-7-22/2009/10-2 दिनांक 31/07/2009):- प्रस्ताव पंजीयन क्रमांक FP/ CG/ OFC/43123/2019 आबंटित है एवं 35000/- रुपये पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि आवेदक संस्थान द्वारा जमा कराई गई जिसे वनमंडल अधिकारी खैरागढ़ के पी.डी.खाते में जमा कराया गया है।	81
21.	राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर में ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणि) छत्तीसगढ़ की अनुसंशा:- ऑटिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित वन भूमि के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण क्षेत्र नहीं है, के संबंध में वन मंडलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।	82

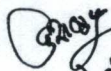
प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग-4 सहित सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 3 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-
 1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में
 2. संदर्भित पत्र की छाया प्रति
 3. भाग-4
 4. टाईम लाईन

(प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित)


 अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/वं. स. अ)
 छत्तीसगढ़


 13/08/2020